कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग)

मुख्य कार्यालय, साकेत भवन आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

मु.का. दूरभाषः 221288, 222672, फैक्स : 07759–221929, पो. बाक्स नं. : 12 पिन कोड : 495677

Website : www.korbamunicipal.in, E-Mail ID - corporationkorba@gmail.com

क्रमांक / न.पा.नि. / 2020 / 5215

कोरबा दिनांक 25/08/2021

सार्वजनिक मार्ग एवं सार्वजनिक स्थलों से कबाड़ हटाने के संबंध में

आम सूचना

कोरबा नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत विभिन्न **सार्वजनिक मार्ग / मार्ग के किनारे / परिवहन नगर में निर्धारित पार्किंग क्षेत्र कमांक 01, 02 एवं 03 स्टेडियम परिसर में सी.एस.ई.बी. चौराहा से स्टेडियम मार्ग, एवं महाराणा प्रताप नगर चौक से गुरू घासीदास चौक में मार्ग सीमा एवं मार्ग के किनारे सार्वजनिक स्थल** पर पड़े कबाड़ वाहन, ट्रॉली, वाहन के पार्ट, टायर, लोहा व अन्य प्रकार का कबाड़ से जन असुविधा, आवागमन व्यवधान जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है व पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। उक्त स्थलों पर इस प्रकार निरर्थक पदार्थों का बिना अनुमति संग्रहण छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 216 (अ), 322 (1) का उल्लंघन तथा उपरोक्त अधिनियम के तहत दण्डनीय होने के साथ–साथ भारतीय दण्ड विधान संहिता की धारा 133 के तहत् भी दण्डनीय है। ऐसे सभी कबाड़ को उक्त स्थल से हटाने हेतु कबाड़ के मालिकों को हटाने हेतु पूर्व में सर्वेक्षण पश्चात नोटिस जारी किये गये हैं। इस सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि, वह अपना **कबाड़ 03 दिवस के अंदर हटा लें**। कबाड़ हटाते समय निगम के परिवहन नगर जोन कार्यालय, प्रियदर्शिनीय इंदिरा स्टेडियम में इसकी लिखित सूचना शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करें।

उपरोक्त अवधि में कबाड़ वाहन, ट्रॉली, वाहन के पार्ट, टायर, लोहा व अन्य प्रकार का कबाड़ के मालिकों द्वारा कबाड़ ना हटाने की स्थिति में लावारिस मानते हुये जप्ती कर उक्त जप्त सामग्री की नीलामी की कार्यवाही करते हुये हटाये जाने के साथ–साथ उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के तहत कार्यवाही भी की जावेगी। उक्त अवधि के पश्चात आपका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)